आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा
राजन गुप्ता और मंजरी नेहरू कौल **के सम्मुख,** जे**.** जे**.**
शिवानी राठी-अपीलार्थी
बनाम
अचल महेष्वरी—उतरवादी
एफ. ए. ओ. संख्या 2800 का 2018
10 सितंबर, 2019

हिंदू विवाह अधिनियम**, 1955,** धारा **S.13 (1) (**आई**.** ए**.)-**तलाक**-**क्रूरता**-**पत्नी का वैवाहिक संबंध**-**इस बात की सटीक परिभाषा देना संभव नहीं है कि विवाह में क्रूरता क्या होगी**-**यह निर्धारित करने के लिए कि पति या पत्नी पर कथित रूप से की गई क्रूरता का अनुमान केवल कार्य से नहीं बल्कि कार्य के परिणामों से लगाया जाना चाहिए**--** पत्नी ने स्वीकार किया कि उसके और दूसरे पुरुष के बीच ई**-**मेल का आदान**-**प्रदान हुआ था**-**पति के खिलाफ उसके द्वारा दर्ज की गई एफ़**.** आई**.** आर**.-**इस **प्रकार,** पति को कृत्यों और पत्नी के आचरण के कारण तीव्र मानसिक पीड़ा और यातना का सामना करना पड़ा**-**पति के पक्ष में तलाक का फरमान बरकरार रखा गया।

ऐसा मानते हुए, यह भी आग्रह किया गया कि माननीय पारिवारिक न्यायालय दलीलों से परे चला गया और क्रूरता के आधार पर पक्षों के बीच विवाह को यह निष्कर्ष निकालकर भंग कर दिया कि उसका विभोर गुप्ता के साथ संबंध था।

(पैरा 9)

आगे कहा कि इस बात की सटीक परिभाषा देना संभव नहीं है कि विवाह में क्रूरता क्या होगी या क्या होगी। इसलिए, विवाह में पति या पत्नी पर कथित रूप से की गई क्रूरता की डिग्री निर्धारित करने के लिए, इसका अनुमान अधिनियम के परिणामों से लगाया जाना चाहिए, न कि केवल अधिनियम से।

(पैरा10)

आगे कहा कि अपीलार्थी-पत्नी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख पर साक्ष्य का अवलोकन, उसकी गवाही में कई अंतरों को प्रकट करता है।उसने अपने और विभोर गुप्ता के बीच ई-मेल के आदान-प्रदान को स्वीकार किया है और Ex.P1 के माध्यम से, उसने प्रतिवादी-पति से माफी मांगी है और उसे आश्वासन दिया है कि वह भविष्य में अपनी गलतियों को नहीं दोहराएगी।इस पृष्ठभूमि में, उसका यह कथन कि विभोर गुप्ता का पासवर्ड उसके द्वारा उसे भेजा गया था ताकि वह आधिकारिक काम के लिए उसके ई-मेल तक पहुंच सके और विभोर गुप्ता का पासवर्ड जानने पर प्रतिवादी-पति ने उसके और विभोर गुप्ता के बीच मनगढ़ंत ई-मेल बनाए, पचाना मुश्किल है और पूरी तरह से अस्वीकार किए जाने योग्य है।यह बहुत स्पष्ट है कि अपीलार्थी-पत्नी इस प्रकार उस छेद को भरने की कोशिश कर रही है जिसे बुनाई कहानियों द्वारा उनके बयान में प्रकट हुए हैं।

(पैरा 11)

ने आगे कहा कि एक अन्य तथ्य, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, वह यह है कि 29 सितंबर, 2015 की प्राथमिकी में, जो अपीलकर्ता-पत्नी के कहने पर प्रतिवादी-पति के खिलाफ दर्ज की गई थी, उसे नियमित जमानत लेनी पड़ी थी।सुनवाई के दौरान, यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि उपरोक्त आपराधिक मामले में, प्रतिवादी-पति ने बरी कर दिया।

(पैरा 12)

ने आगे कहा कि इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पत्नी का आचरण जानबूझकर किया गया था।यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अपीलार्थी-पत्नी के कृत्यों और आचरण के कारण पति को तीव्र मानसिक पीड़ा और यातना का सामना करना पड़ा होगा।यदि यह क्रूरता नहीं होगी, तो यह न्यायालय इस बात से वंचित है कि वास्तव में इसे 'क्रूरता' कहा जा सकता है।

(पैरा 13)

अमृता नागपाल, अधिवक्ता
अपीलार्थी के लिए।
दिनेश अरोड़ा, प्रतिवादी (ओं) के वकील।

मंजरी नेहरू कौल**,** जे**.**

(1) तत्काल अपील पत्नी-शिवानी राठी द्वारा की गई है, जिसके तहत उन्होंने एल. डी. द्वारा पारित 28 फरवरी, 2018 के फैसले और डिक्री पर आपत्ति जताई है। अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गुरुग्राम (इसके बाद **माननीय परिवार न्यायालय** के रूप में संदर्भित)।), जिसके माध्यम से हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत प्रतिवादी-पति/अचल माहेश्वरी द्वारा दायर याचिका (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है), अपीलार्थी-पत्नी के साथ उसकी शादी को क्रूरता के आधार पर भंग करने की अनुमति दी गई थी।

(2) तत्काल अपील के निर्णय के लिए आवश्यक कुछ तथ्य, जैसा कि प्रत्यर्थी-पति (उसमें याचिकाकर्ता) द्वारा **माननीय पारिवारिक न्यायालय** के समक्ष दायर याचिका में अनुरोध किया गया था। पारिवारिक न्यायालय पर ध्यान दिया जा सकता है।दोनों पक्षों के बीच शादी 19 अप्रैल, 2014 को संपन्न हुई थी।उक्त विवाह से कोई संतान पैदा नहीं हुई थी।यह बिना किसी दहेज के एक साधारण विवाह था।उनकी शादी की शुरुआत से ही, पति द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि पत्नी का व्यवहार और रवैया उसके और उसके परिवार के प्रति उतना ही अशोभनीय और कठोर था जितना कि उनके हनीमून के दौरान 21.04.2014 से 25.04.2014 तक **रहा** ।

वह प्रतिवादी से बचती थी और जानबूझकर उसके साथ वैवाहिक संबंध रखने से इनकार कर दिया।30 अप्रैल, 2014 को, अपीलार्थी-पत्नी ने प्रतिवादी-पति और उसके परिवार को मारने की कोशिश की, लेकिन वे खुद को बचाने में कामयाब रहे।प्रत्यर्थी-पति ने दलील दी कि पत्नी का विभोर गुप्ता नामक व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध था, जिसके समर्थन में संदेशों और ई-मेल के रूप में पर्याप्त दस्तावेजी सबूत थे।विभोर गुप्ता ने कहा कि पत्नी के माता-पिता दोनों पक्षों के वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करेंगे।16 नवंबर, 2014 को पत्नी ने विभोर गुप्ता और उसके माता-पिता की मिलीभगत से प्रतिवादी-पति की अनुपस्थिति में उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन उसके सभी गहने, कपड़े और अन्य कीमती सामान अपने साथ ले जाने से पहले नहीं।अपीलार्थी-पत्नी द्वारा उसके साथ किए गए क्रूर और शत्रुतापूर्ण व्यवहार ने प्रतिवादी-पति को अवसाद में धकेल दिया।अपनी शादी को बचाने के गंभीर प्रयासों के बावजूद, वह असफल रहे।इसलिए, उन्होंने अपनी शादी को भंग करने की प्रार्थना की।

(3) इसके विपरीत, अपीलार्थी-पत्नी (उसमें प्रत्यर्थी) ने **माननीय** पारिवारिक न्यायालय के समक्ष दायर अपने लिखित बयान में प्रत्यर्थी-पति के आरोपों का खंडन और खंडन किया। उसने अन्य बातों के साथ आरोप लगाया कि बार-बार दहेज की मांग के साथ-साथ पति और उसके परिवार द्वारा कार और नकदी की मांग की गई थी।चूंकि वह उनकी मांगों को पूरा करने में असमर्थ थी, इसलिए प्रतिवादी-पति और उसके परिवार द्वारा उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया गया और उसे परेशान किया गया।नतीजतन, 29 सितंबर, 2015 को सहारनपुर में पति और उसके परिवार के खिलाफ एक **प्रथम सूचना रिपोर्ट** दर्ज की गई।उसने आरोप लगाया कि शादी के समय उसे मिले सभी उपहार और गहने अभी भी उसकी सास के कब्जे में हैं।उसने प्रस्तुत किया कि अपने सभी वैवाहिक कर्तव्यों और दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करने के बावजूद, प्रतिवादी-पति और उसका परिवार असंतुष्ट रहे।उन्होंने विभोर गुप्ता के साथ अवैध संबंधों के आरोपों को पूरी तरह से गलत बताते हुए स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया।

(4) पक्षकारों की दलीलों द्वारा निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए थे। **माननीय** न्यायालय नीचेः-

"1. क्या याचिकाकर्ता याचिका में उल्लिखित आधारों पर तलाक की डिक्री का हकदार है?ओपीपी

2. राहत मिलती है।"

(5) दोनों पक्षों ने **माननीय** पारिवारिक न्यायालय के समक्ष अपने-अपने पक्ष के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किए। प्रत्यर्थी-पति ने स्वयं पी. डब्ल्यू. 1 के रूप में गवाह-**रूम** में कदम रखा, जबकि अपीलार्थी-पत्नी ने खुद को आर. डब्ल्यू.-1 के रूप में जांचा।

(6) पक्षकारों के नेतृत्व में साक्ष्य और अभिलेख पर सामग्री का विश्लेषण करने के बाद, **माननीय** पारिवारिक न्यायालय ने शिवानी राठी बनाम अचल माहेश्वरी द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया।

(मंजरी नेहरू कौल, जे.)

पति और क्रूरता के आधार पर अधिनियम की धारा 13 (1) (आई. ए.) के तहत पक्षों के बीच विवाह को भंग कर दिया।

(7) हमने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और अभिलेख पर साक्ष्य और अन्य सामग्री को भी देखा है।

(8) 12.11.2018 दिनांकित आदेश के माध्यम से पक्षों को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया था।हमने पक्षों के साथ विस्तार से बातचीत की, लेकिन उनके बीच किसी भी सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुंचने की संभावना असंभव प्रतीत होती है।दलीलों के दौरान पक्षों ने अपने पहले के संस्करणों को **माननीय अदालत के सम्मुख** दोहराया और **माननीय** पारिवारिक न्यायालय के समक्ष लिए गए अपने-अपने रुख को बनाए रखा।

(9) अपीलार्थी-पत्नी के विद्वान वकील ने **माननीय** पारिवारिक न्यायालय से आग्रह करके विवादित फैसले को चुनौती दी। **माननीय** पारिवारिक न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि पति द्वारा उसके खिलाफ क्रूरता के आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस, बहुत कम, विश्वसनीय सबूत नहीं दिए गए थे।इसलिए, सबसे अच्छा, आरोपों को तुच्छ मतभेद और गलतफहमी कहा जा सकता है, जो हर शादी में उत्पन्न होते हैं।यह भी आग्रह किया गया कि **माननीय** पारिवारिक न्यायालय दलीलों से परे चला गया और क्रूरता के आधार पर पक्षों के बीच विवाह को यह निष्कर्ष निकालकर भंग कर दिया कि उसका विभोर गुप्ता के साथ संबंध था।

(10) विवाह में क्रूरता क्या होगी या क्या होगी, इसकी सटीक परिभाषा देना संभव नहीं है।इसलिए, विवाह में पति या पत्नी पर कथित रूप से की गई क्रूरता की डिग्री निर्धारित करने के लिए, इसका अनुमान अधिनियम के परिणामों से लगाया जाना चाहिए, न कि केवल अधिनियम से।

(11) अपीलार्थी-पत्नी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख पर साक्ष्य का अवलोकन, उसकी गवाही में कई खामियों को प्रकट करता है।उसने अपने और विभोर गुप्ता के बीच ई-मेल के आदान-प्रदान को स्वीकार किया है और Ex.P1 के माध्यम से, उसने प्रतिवादी-पति से माफी मांगी है और उसे आश्वासन दिया है कि वह भविष्य में

अपनी गलतियों को नहीं दोहराएगी।इस पृष्ठभूमि में, उसका यह कथन कि विभोर गुप्ता का पासवर्ड उसके द्वारा उसे भेजा गया था ताकि वह आधिकारिक काम के लिए उसके ई-मेल तक पहुंच सके और विभोर गुप्ता का पासवर्ड जानने पर प्रतिवादी-पति ने उसके और विभोर गुप्ता के बीच मनगढ़ंत ई-मेल बनाए, पचाना मुश्किल है और पूरी तरह से अस्वीकार किए जाने योग्य है।यह बहुत स्पष्ट है कि अपीलार्थी-पत्नी इस प्रकार कहानियों को बुनकर अपने बयान में दिखाई देने वाले छेद को भरने की कोशिश कर रही है।

(12) एक अन्य तथ्य, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, वह यह है कि 29 सितंबर, 2015 की **प्रथम सूचना रिपोर्ट** में, जो अपीलकर्ता-पत्नी के कहने पर प्रतिवादी-पति के खिलाफ दर्ज की गई थी,

उसे नियमित जमानत की मांग करनी पड़ी थी।सुनवाई के दौरान, यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि उपरोक्त आपराधिक मामले में, प्रतिवादी-पति **को** बरी कर दिया।

(13) इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पत्नी का आचरण जानबूझकर किया गया था।यह बिना कहे चला जाता है कि अपीलार्थी-पत्नी के कृत्यों और आचरण के कारण पति को तीव्र मानसिक पीड़ा और यातना का सामना करना पड़ा होगा।यदि यह क्रूरता नहीं होगी, तो यह न्यायालय इस बात से वंचित है कि वास्तव में इसे 'क्रूरता' कहा जा सकता है।

(14) अपीलार्थी-पत्नी के विद्वान वकील का यह तर्क कि पत्नी के खिलाफ प्रत्यर्थी-पति के आरोप मामूली मतभेद थे, किसी भी योग्यता से रहित हैं, क्योंकि एक आवश्यक तत्व और नींव जिस पर विवाह टिका हुआ है, वह एक दूसरे के लिए आपसी विश्वास और सम्मान है, जो प्रतीत होता है कि पक्षों के बीच वाष्पित हो गया है।

(15) उपरोक्त की अगली कड़ी के रूप में, हमें ऐसा कोई आधार नहीं मिलता है, जो विवादित फैसले में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की गारंटी देता हो।तदनुसार, तत्काल अपील खारिज कर दी जाती है और 28 फरवरी, 2018 का निर्णय और डिक्री **माननीय** पारिवारिक न्यायालय को बरकरार रखा जाता है।

ऋतंभ्र ऋषि

प्रवीण वर्मा

स्पष्टीकरणः– स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके किसी अन्य उददेष्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता हे। सभी व्यवहारिक और अधिकारीक उददेष्यो के लए निर्णय का अग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कायान्वयन के उददेष्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।